

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 400]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2021—आश्विन 14, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2021

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-बी 1-16-2021-2-पांच (15).—मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-16-2021-2-पांच (10), दिनांक 7 सितम्बर 2021 में :—

कंडिका 2 में उल्लेखित अंश “यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी” के स्थान पर “यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील समझी जायेगी” पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2021

क्र. बी-1-16-2021-2-पांच (15).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का शुद्धि-पत्र क्र. बी 1-16-2021-2-पांच (15), दिनांक 6 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 6th October, 2021

CORRIGENDUM

No. F-B-1-16-2021-2-V-(15).—In the notification, No. F-B-1-16-2021-2-V-(10) dated 07th September, 2021, of the Government of Madhya Pradesh, Commercial Tax Department :—

In Para-2, for the words "This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2021", the words "This notification shall be deemed to have come into force from the date of its publication in the official Gazette" shall be read.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2021

शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-बी-1-16-2021-2-पांच (16).—मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-16-2021-2-पांच (11), दिनांक 7 सितम्बर 2021 में :—

कंडिका 2 में उल्लेखित अंश "यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी" के स्थान पर "यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील समझी जायेगी" पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2021

क्र. बी-1-16-2021-2-पांच (16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का शुद्धि-पत्र क्र. बी-01-16-2021-2-पांच (16) दिनांक 6 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 6th October, 2021

CORRIGENDUM

No. F-B-1-16-2021-2-V-(16).—In the notification, No. F-B-1-16-2021-2-V-(11) dated 07th September, 2021, of the Government of Madhya Pradesh, Commercial Tax Department :—

In Para-2, for the words "This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2021", the words "This notification shall be deemed to have come into force from the date of its publication in the official Gazette" shall be read.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.